

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 91/2017

वादी

भादाराम पुत्र धर्माराम उम्र 40 वर्ष जाति राईका निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दुर्गाराम पुत्र जोराराम उम्र 65 वर्ष
2. समेला पुत्र जोराराम उम्र 70 वर्ष
3. अणसीदेवी पत्नी बीजलाराम उम्र 32 वर्ष
जाति राईका निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 91/2017

निर्णय दिनांक : 13/12/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जगदीश विश्णोई अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा राजस्व ग्राम उदाणियों की ढाणी पटवार मण्डल मौखावा के खसरा नम्बर 1319 रकबा 11-13 बीघा भूमि का तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रस्तुत माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री पारित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान	बरंग
1	भादाराम वल्द धर्माराम कौम राईका सा.देह खातेदार	उदाणियों की ढाणी	1319	02-00	बा.दो.	0.30	लाल
		योग	1	02-00	बा.दो.	0.30	
2	दुर्गाराम पुत्र जोराराम 117/193, समेला पुत्र जोराराम 18/193 व अणसीदेवी पत्नी बीजलाराम 58/193 कौम राईका सा.देह व डाबड	उदाणियों की ढाणी	1319 1319	05-17 03-16	बा.दो. बा.दो.	0.91 0.60	रंगहीन
		योग	2	9-13	-	1.51	रंगहीन

भूमि धारक तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/12/19 को जारी की गई।

मुहर

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी